5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक – निग – 1002 III-16

श्री इरफान शेख अभि० द्वारा उज्जैन कैम्प पर प्रस्तुत 16-3-16

1. मोहनलाल पिता हंसराज रावत मीणा उम्र 32 वर्ष
2. इन्दुबाई पिता हंसराज रावत मीणा उम्र 30 वर्ष

दोनो निवासी मीणा मोहल्ला, नीमच सीटी तहसील व जिला नीमच ... निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. दीपक पिता अर्जुनदेव बधवा उम्र 40 वर्ष निवासी उषागंज, मनासा जिला नीमच म.प्र.
2. म.प्र. शासन .. विपक्षीगण

निगरानी अर्ज अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय नीमच (समक्ष श्री गोपाल सोनी सा.) के न्यायालय में प्रचलित रा.प्रकरण क्र. 78/ए–27/14–15 में पारित विचारित आदेश दि. 28–1–2016 के विरूद्ध

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग.1002–तीन/2016 जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–09–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–1–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि प्रश्नाधीन भूमि पर मोहनलाल पिता हंसराज व इंदुबाई पिता हंसराज का नाम दर्ज है, उन्हें पक्षकार संयोजित किया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । तहसीलदार द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये कि आवेदक की ओर से व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने के आधार पर उनके न्यायालय की कार्यवाही स्थगित करने की मॉग की गई है, जबकि व्यवहार न्यायालय द्वारा तहसीलदार की कार्यवाही स्थगित रखने संबंधी कोई आदेश उनके संज्ञान में नहीं है, आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें भी प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	